बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07 विविध–21/2013– 214 खाद्य, पटना/दिनांक– 09.01.15

फैक्स/
ईमेल

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– **रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या–5810/खाद्य, दिनांक–11.09.2012 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 16192/2011 सुनीता रजक बनाम राज्य सरकार में हुए अंतरिम आदेश में दिये गये निदेश का अक्षरशः पालन करने का निदेश दिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 20.12.2013 को पारित आदेश के आलोक में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश–2014 पारित किया गया है जिसके अनुरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–61 दिनांक– 05.01.2015 निर्गत की गई है । इस संशोधन एवं अधिसूचना के माध्यम से सरकार के द्वारा व्यक्ति विशेष को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति देने तथा जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति में अनुमंडल स्तर पर आरक्षण के प्रावधान को पुनर्स्थापित कर दिया गया है ।

अतः अधिसूचना की प्रति एवं जिलों से प्राप्त जिलावार रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की सूची संलग्न करते हुए अनुरोध है कि **आरक्षण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति एक माह के अंदर नियमानुसार निर्गत कराने की कार्रवाई सम्पन्न करने की कृपा की जाय** । इसकी प्रक्रिया 26 जनवरी 15 से प्रारम्भ सुनिश्चित करें।

तद्नुसार विभागीय पत्रांक– 5810/खाद्य दिनांक–11.09.2012 को विलोपित समझा जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
(हुकुम सिंह मीना)
सचिव।

D/sec-07

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश–2014

जी०एस०आर०————————/पटना, दिनांक —————— आवश्यक वस्तु अधिनियम–(1955 का केन्द्रीय अधिनियम–10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एतद् द्वारा प्र–04–वि0–02–04/2001–5738 दिनांक– 23.06.11 द्वारा यथानिर्गत सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश–2011 की कंडिका– 02, 03 एवं 05 में निम्नलिखित संशोधन करती है :–

संशोधन

1. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –02 की उप कंडिका–2.1 (IV) पुनः अंतःस्थापित की जाती है :–

"(IV)–दुकान आवंटन में आरक्षण निम्न प्रकार होगा।

अनुसूचित जाति	–	16 %
अनुसूचित जनजाति	–	01 %
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	–	18 %
पिछड़ा वर्ग	–	12 %
पिछड़े वर्गो की महिलाऐं	–	03 % "

2. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –02 की उप कंडिका–2.2 पुनः अंतःस्थापित की जाती है
"2.2–आरक्षण का मानक अनुमंण्डल स्तर पर लागू माना जाएगा।"
3. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –02 की उप कंडिका–2.3 पुनःस्थापित की जाती है।
"2.3– दुकान आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्था को अनुकम्पा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जाएगी। "
4. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –03 की उक्त कंडिका 2.4 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है।
"2.4– नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राथमिकताऐं निम्न प्रकार होंगी :–
(क) स्वयं सहायता समूह
(ख) ग्राम पंचायत
(ग) सहकारी समितियॉ
(घ) महिलाऐं/महिलाओं की सहयोग समितियॉ
(ङ.) पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियॉ
(च) विकलांग
(छ) शिक्षित बेरोजगार
(ज) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। "
5. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –05 की उप कंडिका–2.7 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है।
"2.7– दुकान आवंटन के मामले में जनसंख्या एवं आरक्षण मापदंड का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। "

(प्र04–पी0डी0एस0–06/14)
बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/1/15
(ललन प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–पी0डी0एस0–06/14 – 61

पटना दिनांक– 05.01.2015

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 (M.S.Word) में तथा दो हार्ड कॉपी एवं शीर्षक (विषय) अंग्रजी एवं हिन्दी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की प्रति 100 प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

5/1/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–पी0डी0एस0–06/14 – 61

पटना, दिनांक– 05.01.2015

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्ता/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना (प्रेस नोट सहित)/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी–04 एवं 07, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्यालोक, पटना/महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डिलर एसोसिएशन, भिखना पहाड़ी, पटना/महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–पी0डी0एस0–06/14 – 61

पटना, दिनांक– 05.01.2015

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/ संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

5/1/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar

Food and Consumer Protection Department

Notification

PUBLIC DISRTIBUTION SYSTEM(CONTROL)(THIRD AMENDEMENT) ORDER, 2014

G.S.R.-------------------------------Patna, Dated ------------------------------

In exercise of power conferred under section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act-10 of 1955), the Government of Bihar, Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna hereby makes the following amendments in Para-2, Para-3 and Para-5 of Public Distribution System (Control) Amendment order, 2011 as issued vide Pra. 04/Vi.-02-04/2001-5738 dated 23rd June, 2011.

AMENDMENT

1. Subpara - 2.1 (iv) of Para-02 of the said order 2011 is reinserted.

"(IV)-Reservation in allotment of Fair Price Shops are as follows :-

- **Scheduled Caste - 16 Percent.**
- **Scheduled Tribe - 01 Percent.**
- **Most Backward Class - 18 Percent.**
- **Backward Class - 12 Percent.**
- **Women Backward Class - 03 Percent"**

2. Subpara - 2.2 of Para-02 of the said order 2011 is reinserted..

"2.2-Reservation criteria shall be applicable at Sub Divisional Level."

3. Subpara - 2.3 of Para-02 of the said order 2011 is reinserted..

"2.3-Following People and Institutions shall be given priority in allotment of Fair Price of Shops, excluding compassionate cases. "

4. Subpara - 2.4 of Para-03 of the said order 2011 is reinserted.

"2.4-Priority for issuance/New license shall be as follows :-

(a) Self Help Group.
(b) Gram Panchayat.
(c) Co-operative Society.
(d) Women/ Co-operative Society run by women.
(e) Ex-Army Co-operative Society.
(f) Handicapped.
(g) Educated unemployed.
(h) Preference should be given to the applicant who is resident of concerned panchayat or ward. "

5. Subpara - 2.7 of Para-05 of the said order 2011 is reinserted.

"2.7-Compliance of Population and Reservation Criteria are necessary in process of allotting Shops."

(pra-04-PDS-06/2014)

By the order of the Governor

5/1/15

(Lalan Prasad Singh)

Joint Secretary to the Govt.

8. वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुमान्यता एवं वर्तमान में कार्यरत दुकानों की संख्या।

दिसम्बर, 2014

क्र0सं0	जिला का नाम	2011 की जनगणना के आधार पर ज0वि0प्र0 की दुकानों की आवश्यकता।			वर्ष के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक नियुक्त नई दुकानों की संख्या			कार्यरत ज0वि0प्र0 दुकानों का वर्गवार विवरणी।											योग	अभियुक्ति/रिक्ति।
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	अनु0 जाति	अनु0जनजाति	पि0 वर्ग	अ0पि0वर्ग	अल्पसंख्0	महिला	म0 स्वयंस0समूह	अन्य स्वंय सहा0समूह	सहयोग समिति / पैक्स	विकलांग	सामान्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	पटना अनुभाजन	80	1317	1397	1	9	10	71	0	481	61	31	109	0	2	58	3	87	903	494
2	पटना ग्रामीण	1669	469	2138	5	2	7	370	0	549	70	38	183	17	4	127	8	305	1671	467
3	भोजपुर	1069	275	1344	17	0	17	192	0	467	74	52	115	0	4	138	14	371	1427	-83
4	नालन्दा	1167	292	1459	0	0	0	176	0	451	48	48	116	22	0	182	10	143	1196	263
5	बक्सर	808	121	929	0	0	0	146	3	193	62	21	42	1	11	119	0	191	789	140
6	कैमूर	811	55	866	0	0	0	138	10	214	30	42	53	0	0	27	0	101	615	251
7	रोहतास	1280	321	1601	0	0	0	210	11	310	90	59	48	6	0	119	6	167	1026	575
8	भागलपुर	1315	397	1712	0	0	0	186	12	439	170	137	96	0	0	122	15	143	1320	392
9	बांका	1026	53	1079	0	0	0	97	23	301	54	63	69	17	14	37	0	106	781	298
10	गया	2002	414	2416	15	1	16	577	3	557	65	102	105	21	3	190	8	258	1889	527
11	जहानाबाद	527	103	630	0	0	0	93	0	113	38	21	42	0	0	71	4	120	502	128
12	नवादा	1008	119	1127	0	0	0	130	1	262	41	44	117	0	3	121	5	190	914	213
13	औरंगाबाद	1207	156	1363	0	0	0	200	0	356	74	15	47	1	0	129	0	356	1178	185
14	अरवल	344	38	382	0	0	0	90	0	92	0	14	17	1	0	64	0	45	323	59
15	मुंगेर	471	229	700	5	2	7	47	2	209	78	33	57	0	0	67	3	92	588	112
16	खगड़िया	825	61	886	0	0	0	114	0	263	73	26	33	24	1	35	3	54	626	260
17	शेखपुरा	279	80	359	0	0	0	48	0	87	18	7	19	0	0	36	0	74	289	70
18	बेगूसराय	1298	362	1660	0	0	0	291	0	238	82	52	140	0	0	46	3	240	1092	568
19	जमुई	836	86	922	0	0	0	116	34	227	33	26	33	0	0	99	2	189	759	163
20	लखीसराय	433	101	534	0	0	0	50	10	99	28	10	44	1	3	49	2	116	412	122
21	मुजफ्फरपुर	2281	595	2876	11	0	11	347	0	527	101	88	184	12	12	223	8	502	2004	872
22	वैशाली	1709	170	1879	14	0	14	225	0	515	46	25	100	7	6	209	8	310	1451	428
23	पू0 चम्पारण	2440	286	2726	0	0	0	277	9	604	223	195	111	6	7	209	7	521	2169	557
24	प0 चम्पारण	1514	231	1745	0	0	0	325	81	523	141	[illegible]	131	0	1	204	12	300	1944	[illegible]

क्र0सं0	जिला का नाम	2011 की जनगणना के आधार पर ज0वि0प्र0 की दुकानों की आवश्यकता।			वर्ष के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक नियुक्त नई दुकानों की संख्या			कार्यरत ज0वि0प्र0 दुकानों का वर्गवार विवरणी।											योग	अभियुक्ति रिक्ति।
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	अनु0 जाति	अनु0जनजाति	पि0 वर्ग	अ0पि0वर्ग	अल्पसंख्0	महिला	म0 स्वंयस0समूह	अन्य स्वंय सहा0समूह	सहयोग समिति / पैक्स	विकलांग	सामान्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	सीतामढ़ी	1518	181	1699	0	0	0	164	1	309	79	65	53	6	10	99	16	142	944	755
26	शिवहर	308	16	324	0	0	0	28	0	63	4	11	12	2	1	45	0	63	229	95
27	दरभंगा	1746	217	1963	0	0	0	142	1	333	73	138	130	5	3	108	2	354	1289	674
28	मधुबनी	2198	120	2318	4	0	4	306	0	467	107	120	81	25	0	187	0	281	1574	744
29	समस्तीपुर	2175	91	2266	0	0	0	267	0	467	74	39	69	9	8	199	0	316	1448	818
30	सारण	1895	252	2147	0	0	0	261	0	576	101	64	343	0	6	270	13	700	2334	-187
31	सीवान	1578	113	1691	0	0	0	198	3	506	80	127	89	1	7	100	4	434	1549	142
32	गोपालगंज	1274	111	1385	0	0	0	151	4	301	34	59	101	0	0	187	4	346	1187	198
33	सहरसा	850	106	956	0	0	0	117	1	224	46	62	29	4	6	106	1	91	687	269
34	मधेपुरा	1051	57	1108	0	0	0	83	1	236	47	28	44	1	0	104	0	52	596	512
35	सुपौल	1117	78	1195	0	0	0	84	1	252	126	67	31	0	0	104	0	92	757	438
36	पूर्णिया	1340	191	1531	68	0	68	175	44	301	135	190	117	22	10	61	8	120	1183	348
37	कटिहार	1395	172	1567	1	1	2	139	43	213	92	214	71	5	0	137	1	108	1023	544
38	अररिया	1299	110	1409	0	0	0	156	16	252	99	257	127	0	1	88	1	71	1068	341
39	किशनगंज	803	124	927	9	0	9	79	15	93	22	237	95	1	1	51	2	19	615	312
	कुल योग :-	**46946**	**8270**	**55216**	**150**	**15**	**165**	**6866**	**295**	**12443**	**2819**	**3053**	**3403**	**217**	**124**	**4527**	**173**	**8170**	42090	13126

ह0/- 10/12/14